

क्रमांक/अध्यक्ष डिस्कॉम्स/प्रावै.सहा./एफ.

प्रे. 432

दिनांक: 25/12/2021

आदेश

विषय :- कृषि कनेक्शन नीति-2017 में आंशिक संशोधन के संदर्भ में स्पष्टीकरण बाबत।

आदेश क्रमांक अध्यक्ष डिस्कॉम्स/अधी.अधि. (आर.ई.)/एफ/प्रेषित 428 दिनांक 25.12.2021 में कृषि नीति-2017 के प्रतिस्थापित बिन्दु संख्या 18.2.1 एवं 18.3.1 के क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि मीटर श्रेणी के कृषि उपभोक्ता का मीटर सही है तो ही सतर्कता जांच के दौरान उसी कुएँ/बोरिंग पर विद्युत मोटर का भार बढ़ा हुआ पाये जाने पर इस्ते दुरुपयोग की श्रेणी में ना मानकर जुर्माना राशि नहीं ली जायेगी। उपभोक्ता द्वारा कृषि नीति-2017 के अनुसार बढ़े हुए भार हेतु निर्धारित शुल्क जमा कराने पर बढ़े हुए भार को नियमित कर दिया जाएगा। अन्य प्रावधान कृषि नीति-2017 के अनुसार यथावत रहेंगे।

इसके अलावा विद्युत चोरी के मानकों में विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार वैधानिक दायित्व की गणना संबंधित श्रेणी की दुगुनी टैरिफ दर से की जाती है अतः कृषि नीति-2017 के प्रतिस्थापित बिन्दु संख्या 19.2 परिभाषा D के क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि कृषि श्रेणी के उपभोक्ता के विद्युत चोरी प्रकरणों में वैधानिक दायित्व राशि की गणना कृषि उपभोक्ताओं द्वारा वहन दर (उदाहरणार्थ सानान्य श्रेणी के कृषि उपभोक्ता के मामले में रुपये 0.90 प्रति यूनिट) की दुगुनी दर के आधार पर ही की जायेगी।

(भास्कर ए. सावंत)
अध्यक्ष डिस्कॉम्स

No. Jd./SE(PPM)/XEN(S&I) /D.

235

Dated: - 5/1/22.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. अध्यक्ष, डिस्कॉम्स, जयपुर।
3. निदेशक (वित्त/तकनीकी), जोधपुर डिस्कॉम्स, जोधपुर।
4. सचिव (प्रशासन), जोधपुर डिस्कॉम्स, जोधपुर।
5. संभागीय मुख्य अभियंता (जोधपुर जोन/बीकानेर जोन/बाड़मेर जोन), जोधपुर डिस्कॉम्स, जोधपुर/बीकानेर/बाड़मेर।
6. मुख्य लेखा अधिकारी (एएण्डआईए/बी एण्ड आर/डब्ल्यू एण्ड एम), जोधपुर डिस्कॉम्स, जोधपुर/जयपुर।
7. प्रावैधिक सहायक, माननीय प्रबंध निदेशक महोदय, जोधपुर डिस्कॉम्स, जोधपुर।
8. अधीक्षण अभियंता(नगर/ज़िला/पवस), जोधपुर डिस्कॉम्स, जोधपुर/पाली/सिरोही/जालौर/जैसलमेर/बाड़मेर/बीकानेर/चुरु/हनुमानगढ़/श्रीगंगानगर को अक्षरक्ष: पालनार्थ हेतु।
9. अधीक्षण अभियंता(सतर्कता/टीडब्ल्यू/वाणिज्य/एमएम/एमएण्डपी/बीएफएल),जोधपुर डिस्कॉम्स,.....।
10. अधीक्षण अभियंता (आई.टी.), जोधपुर डिस्कॉम्स, जोधपुर। कृपया यह आदेश जोधपुर डिस्कॉम्स की वेबसाईट पर उपलब्ध कराये।
11. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता)/उप अधीक्षक पुलिस (सतर्कता), जोधपुर डिस्कॉम्स, जोधपुर।
12. निजी सचिव- माननीय.ऊर्जा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर को सूचनार्थ।
13. निजी सहायक, अध्यक्ष, डिस्कॉम्स, जयपुर को माननीय अध्यक्ष के सूचनार्थ।
14. जनसंपर्क अधिकारी जोविनिनि, जोधपुर।

(मुख्य अभियंता (मुख्यालय)
जोधपुर डिस्कॉम्स, जोधपुर